

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या-127/2013/जयपुर
2. संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या-128/2013/जयपुर

मैसर्स ट्रायोसिस,
42 करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम्
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकापवंचन तृतीय, राजस्थान जयपुर।

.....अप्रार्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित:-

वकील प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित
श्री डी.पी.ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक।

अप्रार्थी की ओर से
निर्णय दिनांक:- 18.05.2017

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा पारित अपील संख्या 1618 व 1619/2012/जयपुर निर्णय दिनांक 09.05.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
2. दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1618 एवं 1619/2012/जयपुर का निस्तारण करते हुए माननीय खण्डपीठ, राजस्थान कर बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 09.05.2013 द्वारा व्यवहारी की अपीलों को स्वीकार किया। कर बोर्ड द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किये गये हैं।
4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. प्रार्थी की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी अभिभाषक को कई बार अंतिम अवसर देते हुए नोटिस भी जारी किये गये। अतः राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरणों का निस्तारण गुणावगुणों पर किया जा रहा है।
6. इस संशोधन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपने आधारों में उल्लेखित किया है कि कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2013 अनुचित है एवं उन्होंने अपने आधारों में प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।
7. अप्रार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए आदेश दिनांक 09.05.2013 पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधनीय नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जाना अपेक्षित है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

लगातार.....2

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि चेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस, रिकार्ड तथा प्रस्तुत उद्धरणों पर मनन किया। कर बोर्ड की खण्डपीठ ने दिनांक 09.05.2013 को निम्न निर्णय पारित किया है :-

“इस प्रकार इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में भी कराधान के मामलों में **common parlance** का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विनिर्मित एवं बिक्रीत उत्पादों में संव्यवहार करने वालों की **commercial parlance** में प्रचलित सोच, प्रयोजन एवं उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए इनका वर्गीकरण किया जाकर, कर देयता निर्धारित करना न्यायोचित प्रतीत होता है।”

“ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये उत्पादों के निर्माण, प्रयोजन एवं उपयोग बाबत **common/commercial parlance** के सिद्धान्त की विवेचना किये बिना इनको हॉस्पिटल फर्नीचर मानते हुए इन पर अन्तर कर व अनुवर्ती ब्याज को कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा मैसर्स विजयलक्ष्मी सेल्स कारपोरेशन, एम.आई. रोड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-तृतीय, राजस्थान, जयपुर अपील संख्या 58 से 61/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 07.01.2013 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।”

व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि मैसर्स विजय लक्ष्मी सेल्स कारपोरेशन, जयपुर बनाम सीटीओ प्रतिकरापवंचन तृतीय, राजस्थान अपील संख्या 56 से 61/2011 दिनांक 07.01.2013 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में निर्णय दिया गया था। उपरोक्त अपील संख्या 56 से 61/2011 निर्णय दि. 07.01.2013 का सारांश निम्नसार है :-

“अतः आरोपित शास्तियां अपास्त की जाती हैं तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं एवं चारों प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1969) 23 एसटीसी 201, माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1993) 91 एसटीसी 561 एवं राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक दृष्टान्त (1989) 5 आरटीजेएस 289 व (1997) 107 एसटीसी 296 में प्रतिपादित विधि के आलोक में, आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज के बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में विक्रय किये गये उत्पादों के वर्गीकरण को उचित रूप से करते हुये इस संबंध में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।”

कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा मैसर्स विजय लक्ष्मी सेल्स कारपोरेशन, जयपुर बनाम सीटीओ प्रतिकरापवंचन तृतीय, राजस्थान अपील संख्या 56 से 61/2011 दिनांक 07.01.2013 में व्यवहारी की अपीलें प्रतिप्रेषित की गयी हैं, जबकि हस्तगत प्रकरण में व्यवहारी की अपीलें अपास्त की गई हैं। अतः यह रिकार्ड से स्पष्ट भूल है, दृष्टिभ्रम से विवादित आइटमों का वर्गीकरण किया जाकर करारोपण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषण करना था। धारा 33 का पठन निम्नानुसार है :-

9. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33.-

"Rectification of a mistake.- (1) With a view **to rectifying any mistake apparent from the record**, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation.- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having **retropective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board."**

9. उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं धारा 33 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत तर्कों पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात निर्णय पारित किया गया है, परन्तु निष्कर्ष से विपरीत निर्णय दृष्टिभ्रम से अंकित कर दिया गया, जो संशोधनीय है अतः इसमें संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2013 को इस हद तक संशोधित करते हुए प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकारते हुए आरोपित अन्तर कर व अनुवर्ती ब्याज के बिन्दुओं पर आलौच्य अवधियों में विक्रय किये गये उत्पादों का वर्गीकरण उचित रूप से करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं। पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2013 इस हद तक संशोधित किया जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में प्रस्तुत दोनों संशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य
18.5.2013